

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष तथा प्रधानाध्यापक-मावि स्तर के शिक्षा अधिकारियों का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान/विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है, तो अवकाश स्वीकृति एवं उपस्थिति की पूर्ण जांच किये बिना, कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जावे।

क्रं.स	कार्मिक का नाम मय पदनाम व पदस्थापन स्थान (सर्व श्री/श्रीमती)	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहां से वेतन आहरित
I	II	III	IV
1	हरिपुरी प्रधानाचार्य राउमावि गुढाखुर्द, पीपराली, सीकर।	अक्टूबर 2021 से आगामी आदेश तक	राउमावि खेजडला, विलाडा, जोधपुर।
2	तबस्सुम अजीज प्रधानाचार्य राबाउमावि सोनगिरी कुआं, बीकानेर।	अक्टूबर 2021 से आगामी आदेश तक	राउमावि गंगाजली, खाजूवाला, बीकानेर।
3	सुनील कुमार प्रधानाचार्य राउमावि नवलगढ, झुंझुनू।	अक्टूबर 2021	राउमावि खार वाली, खाजूवाला, बीकानेर
4	चेतन चौहान प्रधानाचार्य राबाउमावि लाछडसर, चूरू।	अक्टूबर 2021 से लगातार	राउमावि सारंगसर, चूरू।
5	महीपाल वर्मा प्रधानाचार्य राउमावि गिडानियां, झुंझुनू।	मार्च 2020 का आस्थगित वेतन	राउमावि भसीणा, चूरू।
6	नगेन्द्र कुमार सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राउमावि भामोलाव, अराई, अजमेर।	मार्च 2020 का आस्थगित वेतन	राउमावि भामोलाव, अराई, अजमेर।

वेतन आहरण से पूर्व विभागीय परिपत्र क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4/25577/2020-21/226 दिनांक 26.11.2020 में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना.व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/2021/390 दिनांक:-01.11.2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 3 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, ।
- 4 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
- 5 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा ।
- 6 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
- 7 सम्बन्धित कार्मिक /संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 8 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)